



**Office of Chief Electoral Officer  
Rajasthan Secretariat, Jaipur**

E-Mail: [ceojpr-rj@nic.in](mailto:ceojpr-rj@nic.in) &  
[raj.election.media24@gmail.com](mailto:raj.election.media24@gmail.com)



**Press Release**

**08-11-2025**

**विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026**

**5 दिन में वितरित हुए 1.56 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र  
गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर जिला अक्वल स्थान पर पहुंचा  
मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर भी जमा करा सकते हैं**

जयपुर, 8 नवम्बर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत के बाद से अब तक प्रदेश भर में बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ)ने 1.56 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि शनिवार को 5 दिवसों की समाप्ति तक गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ एवं अलवर जिले अग्रणी रहे हैं।

25 प्रतिशत से कम वितरण वाले 09 जिलों बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़, सिरोही, कोटा, बालोतरा, पाली एवं जैसलमेर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा हिदायत दी गई कि रविवार के अवकाश के दिन लगभग सभी मतदाता घर पर मिल जाएंगे तो वे वितरण प्रतिशत को कम से कम 35 प्रतिशत तक पहुंचाए।

श्री महाजन ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर भी जमा करा सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने की भी सुविधा दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए [voters.eci.gov.in](http://voters.eci.gov.in) वेबसाइट पर फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मतदाता केवल खुद अपने लिए ही ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकता है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार

कार्ड का उपयोग करने वाले ई-हस्ताक्षर उपकरण पर मतदाता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना जरूरी है। अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने वाले मतदाता को BLO द्वारा दिया जाने वाला फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।